प्रेस नोट

दिनांक 17.10.2024

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा, हत्या कारित करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों व वारण्टी / वांछित, अभियुक्त/ अभियुक्ता के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुमेरपुर पुलिस के द्वारा मु0अ0सं0 416/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सोनम उर्फ धमन्त्री पत्नी स्व0 बाबू विश्वकर्मा निवासिनी ग्राम बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा(उम्र करीब 26 वर्ष) को मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 16.10.2024 को समय 22.10 बजे रात्रि मे लक्ष्मीबाई तिराहा स्टेशन रोड कस्वा व थाना सुमेरपुर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 14.10.2024 को थाना सुमेपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि बाबू विश्वकर्मा पुत्र गोकुल (उम्र करीब 40 वर्ष) अपनी पत्नी व 02 बच्चो सहित बतौर किरायेदार कस्बा व थाना सुमेरपुर में रहता था। मुहल्ले के लोगो ने बताया कि घर मे अत्यधिक दुर्गन्ध आ रही है तथा घर के बाहर से ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर उच्चाधिकारी ,फील्ड यूनिट व थाना सुमेरपुर पुलिस मय फोर्स के मौके पर जाकर कर देखा तो घर के अन्दर बाबू विश्वकर्मा का मृत शरीर पडा था। मौके पर मौजूद मुहल्ले वालों ने बताया कि मृतक बाबू विश्वकर्मा शराब पीने का आदी था, आए दिन शराब पीकर पति-पत्नी मे आपस मे विवाद होता रहता था। पत्नी 8-10 पूर्व घर से बाहर चली गयी थी जिस कारण बाबू विश्वकर्मा घर पर अकेले रह रहा था। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतक के जीजा राजू पुत्र रामबालक निवासी ग्राम इंगोहटा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 416/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम सोनम पत्नी बाबू विश्नकर्मा निवासिनी अज्ञात के विरुध्द पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्ता द्वारा बताया गया की दिनांक 03.10.2024 को बाबू विश्वकर्मा ने उसे शराब पीकर पहले दोपहर में मारा-पीटा फिर शाम को दोबारा शराब पीकर आया और घर का सारा सामान फेकने लगा उसने रोका तो फिर से मारा-पीटा गया, जिससे उसके चेहरे पर चोट आ गयी थी और बाबू विश्वकर्मा ज्यादा नशे की हालत में बेहोस अवस्था में कमरे में नीचे ही लेट गया। टाइल्स काटने वाला कटर (ग्राइंडर) कमरे में रखा था उसने गुस्से में बाबू की गर्दन ग्राइंडर से समय करीब 07 बजे शाम को काट दी थी। बाबू तड़प कर मर गया और उसने अपने कपडे पानी से साफ किये जिन पर खून लग गया था और टाइल्स काटने वाला कटर / ग्राइंडर उसी कमरे में छोड़ दिया था जिससे उसने अपने पति की गर्दन काट कर हत्या की थी। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता सोनम को गिरफ्तार किया गया।

नाम व पता अभियुक्ता-

अभियुक्ता सोनम उर्फ धमन्त्री पत्नी बाबू विश्वकर्मा(उम्र करीब 26 वर्ष) निवासिनी बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा **मूल पता-** पीपरघट थाना डोभी जिला गया,बिहार।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.प्रशि0 उ0नि0 दिशान्त खोखर थाना सुमेरपुर
2.का0 अमित कुमार थाना सुमेरपुर
3. म0 का0 सौम्या चौहान थाना सुमेरपुर
4. का0 अतुल तिवारी सर्विलास सेल
5. का0 रवि पटेल सर्विलास सेल